

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1395 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 18-11-2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00 (बेरीनाग- चकोड़ी - काण्डा- बागेश्वर - ताकुला अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/151120/2022।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 2789 / FP/UK/ROAD/151120/2022 दिनांक 21.05.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके संदर्भित द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2343/12-1 (2) दिनांक 02.11.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है। कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। संलग्न- 03 हार्ड कॉपियां।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

07 NOV 2022

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

दूरभाष : 05962.300065, फैक्स : 05962.232182 ई-मेल : almoradivision@rediffmail.com

पत्रांक 2343 / 12-1(2) अल्मोड़ा

दिनांक 12/11/2022

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय -

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के कि०मी० 171.00 से 206.00 (बैरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/151120/2022

सन्दर्भ -

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2789/FP/UK/ROAD/151120/2022 देहरादून 21 मई 2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल कार्यालय द्वारा 6 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है -

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन अपलोड प्रमाण पत्र में उक्त हेतु श्री दीपक कुमार जोशी, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रानीखेत को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया गया है। प्रमाण पत्र ऑनलाईन पोर्टल पार्ट-1 के पैरा A-3(Xvii) में अपलोड कर लिया गया है (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)।
2	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee में प्रत्येक ग्राम के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee में प्रत्येक ग्राम के अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट-1 में के० सैवशन पर अपलोड कर लिये गये हैं। (प्रपत्र संलग्न)
3	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले ऑनलाईन पार्ट-11, Para-5 में Working Plan की सूचना नहीं भरी है। उक्त सूचना यथारथान अपलोड करने का कष्ट करें।	आपत्ति का निराकरण प्रभाग स्तर से ऑनलाईन कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट-1 के पैरा 1 में क्षतिपूरक की सूचना अपलोड नहीं की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट-11 के पैरा-13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 18.405 हे० समतुल्य क्षेत्र में किया गया है, जबकि भारत सरकार की Handbook Guideline के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रभावित क्षेत्र के दुगने अवगत क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण दुगने वन भूमि में करते हुये सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के मानचित्र, के०एम०एल० फाईल, जी०पी०एस० कोऑर्डिनेट की सूचना ऑनलाईन पार्ट-1 एवं पार्ट-11 में अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना दोगुने क्षेत्रफल (36.810 हे०) पर तैयार कर पार्ट-1 के एल० सैवशन में अपलोड कर ली गयी है एवं सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर हार्ड कॉपी में प्रेषित किये जा रहे हैं।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रमाण पत्र में वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या-5981 अंकित की गयी है, जबकि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट-11 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या-5432 अपलोड की गयी है। कृपया प्रभावित वृक्षों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	आपत्ति का निराकरण प्रभाग स्तर से ऑनलाईन कर दिया गया है, जिसके अनुसार वास्तविक रूप से प्रभावित वृक्ष 5981 ही हैं।
6	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की DSS रिपोर्ट भी प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	उक्त बिन्दु का निराकरण प्रभाग स्तर से सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आपत्ति का निराकरण हेतु उच्च स्तर से सहयोग प्रदान किये जाने हेतु पत्र लिखने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार चार प्रतियाँ में।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।